कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मेरठ

पत्रांक 337/IC **दिनांक** 03/10/2022

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुजफ्फरनगर।

विषयः– **चौधरी चरण सिंह, कांवड मार्ग (अपर गंग नहर की दायी पटरी) 111.490 कि०मी० (चैनेज 51.910 से 163.400 तक) पर मार्ग निर्माण का कार्य हेतु जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हैक्टेयर संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.60 हैक्टेयर संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.70 हैक्टेयर संरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 222.98 हैक्टेयर संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16,873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66,685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4,164 वृक्ष एवं 25000 पौधे अर्थात कुल 1,12,722 वृक्षो/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Road/121197/2021)**

संदर्भः– प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर का पत्रांक 1091/14–1 (FP/UP/Road/121197/2021) मुजफ्फरनगर, दिनांक 28.09.2022

उपरोक्त विषयक सूचना टेबुलर फार्म में निम्न विवरणानुसार प्रस्तुत हैः–

क्र0सं0	वांछित सूचना के बिन्दू	अनुपालन आख्या
1.	In lieu of 222.98 ha forest land proposed to be diverted, 223.00 ha non-forest land has been provided out of this only 41.36 ha NFL is suitable for compensatory afforestation. Thus the non-forest land needs to be rechecked and- forest land suitable for plantation and adjoining to forest blocks needs to be provide. If NFL is not available then to compensate, plantation in double the are in degraded forest land needs to proposed.	वॉछित आख्या प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर, मिर्जापुर एवं शिवालिक रेन्ज सहारनपुर से अपेक्षित है, जो कि नोडल प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर द्वारा कार्यवाही में है।
2.	Since huge tree fallings is involved thus to compensate this, plantation along road side needs to be taken up (either along the same road along adjoining some other road)	वर्तमान में लोक निर्माण विभाग के अधीन समस्त मार्गो का ROW वृक्षारोपण से संतृप्त हो चुका है। मेरठ मण्डल का क्षेत्र NCR घोषित होने के कारण मण्डल में अधिकतर State Highway को National Highway में परिवर्तन कर NHAI भारत सरकार को हस्तान्तरण विगत 20 वर्षों में हो चुका है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्गों के किनारे वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है। विषयगत नहर पटरी का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात लगभग 05 मी0 चौड़ाई में मार्ग के तटबंध के ढाल की भूमि वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध रहेगी।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, मेरठ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, मेरठ वृत्त, मेरठ एवं सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी मेरठ, गाजियाबाद एवं सहारनपुर।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी ललितपुर/मिर्जापुर एवं शिवालिक रेन्ज सहारनपुर ।
5. जिलाधिकारी महोदय मेरठ।
6. मुख्य अभियन्ता, मेरठ क्षेत्र, लो0नि0वि0, मेरठ।
7. अधीक्षण अभियन्ता, मेरठ वृत्त, लो0नि0वि0, मेरठ।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, मेरठ।

2 AE-IV Kavad Nahar patri